प्रेस नोट- दिनांक 23.03.2024

अपराध नियंत्रण की दिशा में कार्य करते हुये इटावा पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमन्चा व 02 जिन्दा कारतूस किये गये बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में थाना पछायगांव पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 19.03.2024 को वादी अरूण कुमार पुत्र पप्पू बाल्मीकि निवासी ग्राम जैतपुरा थाना पछायगांव जनपद इटावा द्वारा थाना पछायगांव पर सूचना दी गयी कि मेरे घर में कार्यक्रम के दौरान मेरे परिवार के सदस्यों द्वारा शराब पीकर गाली-गलौज की गयी एवं मना करने पर चाकू से हमला कर दिया गया जिससे मैं, मेरे पिता एवं मेरी बहन गम्भीर रूप से घायल हो गये। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुये थाना पछायगांव पर मु0अ0सं0 09/2024 धारा 323/504/506/308 भादवि पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

आगामी लोकसभा निर्वाचन- 2024 के दृष्टिगत अपराध एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 22.03.2024 को थाना पछायगांव पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चैकिंग की जा रही थी, इसी दौरान प्राप्त आपराधिक अभिसूचना के आधार पर मु0अ0सं0 09/2024 से संबंधित अभियुक्त सनी पुत्र छुन्ना को कोरीकुआ चौकी के पास पुरा मुरोंग जाने वाले रास्ते से समय 08.45 बजे 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 02 जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया

पुलिस पूछताछः-

पुलिस टीम द्वारा पकड़े गये अभियुक्त से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि मेरे चाचा पप्पू व चाचा के लडके अरूण व लडके की पत्नी गंगा देवी ने मेरे साथ मारपीट की। इस दौरान मैं हाथ में चाकू लिये था। मेरी बहन रीना व पिता जी ने पप्पू के हाथ पकड लिये थे और मैंने पप्पू के पेट में चाकू मार दिया था। जब पप्पू का लडका अरूण अपने पिता जी को बचाने आया तो मैने गुस्से में उसको भी चाकू मार दिया था और उसकी पत्नी को भी चाकू मार दिया था।
अभियुक्त की निशादेही के आधार पर घटना में प्रयुक्त 01 अवैध चाकू रेलवे ओवर ब्रिज जैतपुरा के पास झाडियो से बरामद किया गया।

उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना पछायगांव पर मु0अ0सं0 11/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया एवं मु0अ0सं0 09/24 धारा 323/504/506/308 भादवि में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.सनी पुत्र छुन्ना निवासी जैतपुरा थाना पछांयगांव जनपद इटावा उम्र 22 वर्ष।

पंजीकृत अभियोगः-

1.मु0अ0सं0 11/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पछायगांव जनपद इटावा।

आपराधिक इतिहासः-

अभियुक्त सनी पुत्र छुन्ना

1.मु0अ0सं0 05/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना पछायगांव जनपद इटावा

2.मु0अ0सं0 09/2024 धारा 323/504/506/308 भादवि व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना पछायगांव जनपद इटावा

3.मु0अ0सं0 11/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पछायगांव जनपद इटावा।

बरामदगीः-

1.01 अवैध तमंचा 315 बोर

2.02 जिन्दा कारतूस 315 बोर

3.01 अवैध चाकू (घटना में प्रयुक्त)

पुलिस टीम- निरीक्षक श्री कृष्णा लाल पटेल प्रभारी थाना पछायगांव, उ0नि0 कासिम हनीफ, का0 सुनील कुमार।